Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 10 | ISSUE : 7 | JULY 2024

झारखण्ड के विकास में मिशनरी एवं सामाजिक संस्थाओं का योगदान

आशीष कुमार [1]

[1] शोधर्थी, शिक्षाशास्त्रा, राध गोविन्द विश्वविद्यालय, रामगढ़ (झारखण्ड).

ABSTRACT:

-

KEYWORDS:

-

PAPER ACCEPTED DATE: 29th July 2024

PAPER PUBLISHED DATE: 30th July 2024

छोटानागपुर बिहार का एक पठारी क्षेत्रा है। यह क्षेत्रा बहुप्रजातिक और बहुभाषीय क्षेत्रा है। इन बहुप्रजातिक लोगों को मुख्य रूप से दो वर्गों में रखा जा सकता है– जनजातीय समुदाय और गैर जनजातीय समुदाय। उसी प्रकार भाषिक सन्दर्भ में कहा जा सकता है कि यह क्षेत्रा आस्ट्रिक, द्रविड़ और आर्यभाषाओं की संगम स्थली है। परन्तु, इस क्षेत्रा की पहचान आदिवासी या जनजातीय समुदाय की स्थली के रूप में होती है।

छोटानागपुर की प्रमुख जनजातियों में संताल, मुण्डा, उराँव, हो, भूजिज, खड़िया, महली सौरिया, पहाड़िया, खरवार, लोहरा, बेदिया, चिकबड़डाक, गौड़, चेरो, किसान, कोरा, कोरवा, करमाली, परहैइया, गोड़ाइत, बिझिया, असुर, बिरहोर, बथुडी, बैगा, भोक्ता, पान, तुरी आदि है। ये जनजातियाँ भाषायी तौर पर एक नहीं है। भाषिक सन्दर्भ में इन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है– आस्ट्रिक, द्रविड़ और आर्यभाषा–भाषी। संताल, मुण्डा, हो खड़िया, भूमिज, गौड़, चेरो, कोरा, बिरहोर, बथुडली आतदि आस्ट्रिक परिवार की भाषा बोलते हैं जबकि उराँव, सौरिया पहाड़िया, परहैठया आदि द्रविड़ भाषा परिवार के अन्तर्गत आते हैं। कुछ जनजातियाँ ऐसी भी हैं जो इन दो भाषा परिवार को छोड़कर छोटानागपुर में बोली जाने वाली अन्य स्थानीय भाषा का प्रयोग करती है।

यहाँ की जनजातियों में प्रायः शिक्षा का अभाव है। साधरणतः शिक्षा के दो प्रकार हैं– औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। पूरे देश के सन्दर्भ में देखा जाय तो यहाँ के जनजातीय समुदायों में अपनी परम्परागत एवं अनौपचारिक शिक्षा प(ति ही प्रचलित रही है। 'गितिओड़ा', 'धुमकुड़िया', 'ढांगर बासा' आदि परम्परागत और अनौपचारिक शिक्षा के केन्द रहे हैं।

आधुनिक औपचारिक शिक्षा के तीन अवयव हैं – छात्रा, शिक्षक और शिक्षण–संस्थाएँ। सन् 1831 के आसपास मिशनरियों ने जनजातियों के बीच शिक्षा का प्रचार–प्रसार प्रारम्भ किया। मिशन के प्रयास से अनेकानेक विद्यालयों की स्थापना हुई। स्वतंत्राता–प्राप्ति के बाद श्री ठक्कर बापा ने विभिन्न राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों का भ्रमण कर उनके कल्याणार्थ एक परिमित पंचवर्षीय योजना 1948 में तैयार की और उन्होंने राज्य सरकार से गैरसरकारी संस्था द्वारा कार्यान्वित करने का अनुरोध किया। फलस्वरूप बिहार सरकार ने छोटानागपुर की जनजातियों के बहुमुखी विकास के लिए इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 'आदिमजाति सेवा मंडल' राँची को सौंपा। संथाल परगना के आदिवासियों के कल्याण हेतु 'संथाल पहाड़िया सेवा मंडल' नामक एक गैर सरकारी संस्था को दिया गया। इन दोनों संस्थाओं ने प्राइमरी, मिड्ल और माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की। स्वतंत्राता प्राप्ति के बाद राजनीतिक नेताओं का जनजातियों की दयनीय स्थिति पर ध्यान गया। राज्य सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में अनेक विद्यालयों की स्थापना की और जो विद्यार्थी विद्यालय जाने लगे, उन्हें अनेक प्रकार की सुविधएँ प्रदान की जाने लगी।

भारतीय संविधान के निमार्ताओं ने भारत के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक तथा शिक्षा संबंधी अभिरूचियों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की। सन् 1952 ई॰ में जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए सामुदायिक विकास योजनाओं को लागू किया गया तथा जनजाति में बहुमुखी विकास के लिए विशेष प्रयास किया जाने लगा। इसके लिए अध्कि ध्नराशि उपलब्ध करायी गयी। सन् 1954 में जनजाति क्षेत्रों के गहन विकास के लिए तैंतालिस विशेष बहुउद्देशीय आदिवासी विकास खण्डों का निर्माण किया गया। 1954–55 के आस–पास केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के योग्य विद्यार्थियों के लिए विदेशों में अध्ययन हेतु छात्रावृत्तियाँ देने की व्यवस्था की। प्रतिवर्ष छः जनजातियों के छात्रों को विदेश में अध्ययन की सुविध दी जाने लगी।

छठे दशक में छोटानागपुर में शिक्षा की आवश्यकता और अध्कि महसूस हुई। उस समय छोटानागपुर के कई जिलों में औद्योगिकरण की प्रगति बड़ी तेजी से हो रही थी। डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिपिफकेट धरी लोगों को रोजगार के अवसर दिये जाने लगे। उस समय जनता विद्यालय और गैर सरकारी विद्यालय बड़ी संख्या में स्थापित किये जाने लगे।

जनजातीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं की देख–रेख के लिए प्रशासन में कुछ स्वायत्तता के लिए 'छोटानागपुर संथाल परगना स्वायत्त विकास प्राध्किरण' की स्थापना 1970 में राँची में हुई। अभी यह कार्यालय 'मिनी सचिवालय' या 'शाखा सचिवालय' कहलाता है। यह जनजातीय उपयोजनाओं की देखरेख करता है। इस प्राध्किरण के गठन का मुख्य उद्देश्य है– अनुसूचित क्षेत्रा और अन्य क्षेत्रों की दूरी को दूर करना तथा जनजातीय समुदाय की जीवनशैली को बदलना। पाँचवीं योजना के दौरान पचास या पचास प्रतिशत से अध्कि जनजाति संख्या वाले क्षेत्रों को उपयोजना घोषित किया गया। समन्वित जनजातीय विकास परियोजनाएँ तैयार की गयी। ऐसा महसूस किया गया कि बुनियादी साक्षरता और शिक्षा प्राप्त करना एक मौलिक अध्किार है और एक न्यूनतम आवश्यकता भी। अतः सरकार ने प्रत्येक बड़े गाँव को कम से कम एक प्राइमरी विद्यालय देने की चेष्टा की गयी। लोग अनुभव करने लगे कि विद्यालय ही उनकी सबसे पहली आवश्यकता है और यही उसके जीवन का कायापलट कर सकता है। पफलस्वरूप विद्यालय भवनों का निर्माण होने लगा और शिक्षक नियुक्त किये गये।

सन् 1977–78 में वयस्क शिक्षा का आरम्भ हुआ। कुछ समय के लिए जनता ने उमंग के साथ इसका स्वागत किया। सरकार के द्वारा वयस्क शिक्षा परियोजना चलाये जाने के अतिरिक्त गैर सरकारी संस्थाएँ भी इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित की गयी। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रा में जनजातियों को साक्षर बनाया जाने लगा।

1986 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गयी। इस नीति के तहत सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रा के अनपढ़ स्त्री–पुरूषों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया। इसी प्रकार 6 वर्ष से 11 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से प्राइमरी तक शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य ध्येय था। आदिवासियों को सातवीं योजना में अनौपचारिक शिक्षा द्वारा शिक्षित करने का भी लक्ष्य रखा गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्देशित सभी विद्यालयों अनुसूचित

जनजातियों के छात्रों को नामांकन में तथा नामांकन के लिए पाँच प्रतिशत अंकों की छूट दी गयी। इसी प्रकार नयी शिक्षा नीति के अन्तर्गत छात्रावृत्ति तथा जनजातियों के लड़के–लड़कियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था तथा उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने में छात्रावृत्ति का प्रावधन किया गया।

बिहार सरकार ने अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों की शिक्षा–सम्बन्धी तथा आर्थिक उत्थान के लिए 'कल्याण विभाग' नामक एक पृथक विभाग का निर्माण किया है। छोटानागपुर प्रमंडल के सभी जिलों में एक–एक आदिवासी कल्याण पदाधिकारी पदस्थापित हैं।

छोटानागपुर में गाँव दूर–दूर तक बिखरे हुए हैं। शिक्षा संस्थाओं के बीच की लम्बी दूरी है जो शिक्षा के मार्ग में एक रूकावट है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए जहाँ नितान्त आवश्यकता है, सरकार ने वहीं छात्रावासों के निर्माण का दायित्व लिया है। प्रत्येक थाना के प्रधन कार्यालय में एक छात्रावास बनाने की नीति है। सरकार जनजातीय विद्यार्थियों के लिए पफर्नीचर, बर्तन, रसोईया तथा लालटेन आदि आवश्यक वस्तुओं को बिना मूल्य लिए प्रदान करती है।

इसी प्रकार कुछ गैर–सरकारी संस्थाएँ भी जनजातियों के चतुर्दिक विकास के लिए वर्षो से कार्यरत है, जिन्हें सरकार से अनुदान प्राप्त होता है, जैसे– आदिम जाति सेवामण्डल, घुमकुड़िया स्कूल, सेवा केन्द्र निवारण आश्रम, सिचारी मिशन, कोकेल मिशन, गाँधी आश्रम, अनिगड़ा आश्रम, टाना भगत आश्रम, महिला उद्योग संघ, हो हिन्दी पुस्तकालय आदि। जनजातियों के बीच शिक्षा के प्रचार–प्रसार में इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

शिक्षा के विकास में राज्य सरकार भी सतत् सचेष्ट रही है। औपचारिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इसके लिए राँची जिले में ग्यारह आवासीय विद्यालय खोलेग गये हैं। इनमें से दो अनुसूचित जाति के लिए है। तीन आवासीय उच्च विद्यालय अनुसूचित जनजातियों के लिए है। बाकी सभी आवासीय मध्य विद्यालय हैं।

अनुसूचित जनजातीय लोगों के बीच कुशल कारीगर पैदा करने तथा रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने के उद्देश्य से राँची, चाईबासा और दुमका में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गये हैं। इन संस्थानों में इस समुदाय के विद्यार्थियों को साठ प्रतिशत स्थान सुरक्षित है। इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवा की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तथा राज्य की सेवाओं के लिए राज्य सरकार ने बिहार जनजातीय शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना राँची में की है। इसमें झारखण्ड लोक सेवा आयोग, स्टापफ सेलेक्शन, स्टेनोग्रापफर, टाइपिस्ट आदि की नौकरी के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष की है तथा प्रशिक्षणार्थियों के भोजन की मुफ्रत व्यवस्था है। अतः निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि छोटानागपुर के जनजातीय समुदाय के शैक्षिक विकास के लिए सरकार ने कई महत्त्वपूर्ण योजनाएँ बना रखी है।

शिक्षा के क्षेत्रा में इस दीर्घ प्रयास के पफलस्वरूप जनजातीय समाज में कापफी परिवर्तन आया है। औपचारिक शिक्षा के महत्त्व को इस समुदाय के लोग बड़ी तेजी से पहचान रहे हैं। शिक्षा ने आदिवासी समाज में एक मौन क्रान्ति उत्पन्न कर दी है। औपचारिक शिक्षा को जागरूकता एवं निर्माण प्रक्रिया का सम्बल माना जा रहा है। साक्षरता के विस्तार से जनजातीय समुदाय के जीवन में गतिशीलता आयी है। इसके पफलस्वरूप शिक्षित आदिवासी शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों की ओर जाने लगे हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर, इंजीनियर, प्राध्यापक, अध्विक्ता, न्यायाधेश, शिक्षक आदि का विविध क्षेत्रों में पदार्पण हो रहा है।

आज आदिवासियों के बीच शिक्षा की सपफलता का श्रेय सरकारी गैरसरकारी संस्थाओं को जाता है। जनजातीय साक्षरता में मिशनरियों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक विकास तथा शिक्षा के क्षेत्रा में ईसाई मिशनरियों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। शिक्षा के क्षेत्रा में विभिन्न संस्थाओं के निरन्तर प्रयास के पफलस्वरूप सन् 1981 की जनगणना के अनुसार राँची जिले की साक्षरता 33 प्रतिशत है जबकि बिहार प्रान्त की साक्षरता का अनुपात है 76 प्रतिशत। राँची जिले की साक्षरता का अनुपात बिहार प्राप्त की साक्षरता के अनुपात से अध्कि है और भारत के अनुपात के समीप तेजी से पहुँच रहा है।

छोटानागपुर की जनजातियों में 1981 की जनगणना के अनुसार राँची जिले में साक्षरता दर लगभग 33 प्रतिशत है तथा स्त्रियों की 14 प्रतिशत है। इसी प्रकार सिंहभूम जिले में पुरूषों की साक्षरता दर 30 प्रतिशत और स्त्रियों की साक्षरता दर 7 प्रतिशत, पलामू जिले में पुरूषों में साक्षरता दर 25 प्रतिशत तथा स्त्रियों में 5 प्रतिशत, गिरिडीह जिले में पुरूषों की साक्षरता दर 16 प्रतिशत तथा स्त्रियों की 2 प्रतिशत, ध्नबाद जिले में पुरूषों की साक्षरता दर 25 प्रतिशत एवं स्त्रियों की 4 प्रतिशत तथा हजारीबाग जिले में पुरूषों की साक्षरता दर 20 प्रतिशत और स्त्रियों की साक्षरता दर 5 प्रतिशत है। यदि राष्ट्रीय सन्दर्भ में देखा जाय तो राँची जिले की साक्षरता दर सभी दृष्टियों से उल्लेखनीय है। आदिवासी समुदाय के लिए यह सभी जिलों से अध्कि है यहाँ तक कि बिहार और भारत में सर्वाध्कि। जनजातियों में पुरूषों की साक्षरता दर 30 प्रतिशत और स्त्रियों की साक्षरता दर 8 प्रतिशत है। यह छोटानागपुर के सभी जिलों में दूसरे स्थान पर आता है। सिंहभूम जिला सबसे आगे हैं। यहाँ पुरूषों की साक्षरता दर 38 प्रतिशत और स्त्रियों की साक्षरता दर 11 प्रतिशत है। यदि सिंहभूम जिले में की सारे भारत से तुलना की जाय तो जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए स्त्री साक्षरता एक राष्ट्रीय आंकड़ा होगा।

ग्रामीण साक्षरता दर में राँच जिला सबसे आगे है। पुरूषों की साक्षरता दर 31 प्रतिशत और स्त्रियों की साक्षरता दर 12 प्रतिशत है। यह राष्ट्रीय और राजकीय औसत भी अध्कि है। निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि छोटानागपुर के जनजातीय समुदाय में शिक्षा की स्थिति सन्तोषजनक है। यदि इन जनजातियों को प्रारंभिक शिक्षा उनकी मतृभाषाओं में देने की व्यवसी की जाय तो निश्चित रूप से शिक्षा की स्थिति में उत्कृष्टता की अपेक्षा की जा सकती है।

किसी समुदाय की संस्कृति उसके जीवन के पूरे दायरे में अर्जित मूल्यबोध् की पूंजी होती है और उसके लिए पहचान के संकट का सवाल तब आता है, जब वह देखता है कि उस पर आक्रमण हो रहे हैं, जब उसकी पहचान के विघटित होने का भय उसे आतंकित करता है।

भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में, जिसका संविधन विविध्ता में एकता का संकल्प लिये हुए हैं, हर समुदाय का यह आशा करना नितान्त स्वाभाविक है कि देश के समन्वित समेकित गुलदस्ते में उसका भी पफूल स्थान पा सके, दिखाई दे। देश को भाषाई एवं सांस्कृतिक आधर पर पुनर्गठित करने के पीछे उद्देश्य था उक्त सांस्कृतिकता को सुरक्षित एवं संपोषित करना। दुर्योग के कई बड़े सांस्कृतिक क्षेत्रा राज्य के रूप में मान्यता पाने से वंचित हो गए। उल्टे ऐसे क्षेत्रों को विखंडित–विघटित करने पर ही जोर दिया गया। झारखंड सांस्कृतिक क्षेत्रा भी उन्हीं में से एक है, जो अपनी सांस्कृतिकता की मान्यता के लिए पिछले 50 वर्षो से प्रयत्नशील है। एक राज्य के रूप में पूर्ण स्वायत्तता की कान्यता अब तक नहीं प्राप्त होने के बावजूद यह सांस्कृतिक क्षेत्रा अपने अन्दर एक पहचान संजोए हुए है, जो उसे उसकी जीवनी शक्ति के रूप में अनुप्राणित करती रही है। यहाँ हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि झारखंड संस्कृति की पहचान का आधर यहाँ की आदिवासी संस्कृति की विरासत ही है। हम यह मान कर चलते हैं कि यहाँ का गैरआदिवासी भी उसके आदिवासीपन के कारण ही झारखंडी है।

REFERENCES

1. बीरोतम, बी. झारखंड : इतिहास एवं संस्कृति, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, नगर, पटना
2. बनर्जी, मात गोविंद, ए हिस्टोरिकल आउटलाइन ऑपफ प्रि॰ ब्रिटिश, छोटानागपुर, रांची, 1993
3. के॰ बागे, ए हिस्ट्री ऑपफ द नेशनल क्रिश्चियन काउंसिल ऑपफ इण्डिया ;1914–64द्ध, नागपुर, 1964
4. केसरी, वी. पी. छोटानागपुर का इतिहास कुछ सूत्रा कुछ संदर्भ, रांची, 1979
5. भारत 2014 प्रकाशन विभाग, भारत सरकार
6. इण्डिया टुडे : आउटलुक ;मासिक पत्रिकाद्ध
7. दैनिक समाचार पत्रा प्रभात खबर